न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 280 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 20 / 01 / 2025

उनवान

1. नारायणलाल पिता कालू मेघवाल निवासी नान्दोली तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजियात मौजा नान्दोली पटवार हल्का भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है, जिसके हाल आ.सं. 397 रकबा 22.14 है. किस्म बिलानाम आराजी जिस पर वादीगण सन् 1980 से लेकर के आज दिन तक लगातार काबिज होकर काश्त कर रता है तथा पेनल्टी जमा करा रहा है। सबूत के लिए नकल चालू जमाबंदी, साबिक जमाबंदी, पी 14 की नकलें, 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादपत्र आराजियात पर वादी 1980 से लगाकर आज दिन तक काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा राजस्व के रूप में पेनल्टी जमा करा रहा है एवं वादग्रस्त आराजियात उबड खाबड थी जिसको वादी ने काफी अंग मेहनत करके उपजाऊ बनाया चारों तरफ मेडबंदी की, थोहरों की बाड लगाई तथा सिंचाई के लिए कुआं खोद रखा है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजियात में से 1.08 है. आराजी नियमन का अधिकारी है तथा कब्जा मुखालफाना के अनुसार वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी फरमाई जाकर के वादग्रस्त आराजियात में से 1.08 है. आराजी को नियमन कराया जाकर के खातेदार काश्तकार को घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक है। उक्त आराजियात के लिए वादी के द्वारा ग्राम ताणा में राजस्व अभियान शिविर लगे उस समय भी वादी ने राजस्व कर्मचारियों के समक्ष नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता के कारण आज दिन तक वादग्रस्त आराजियात को वादी के पक्ष में नियमन नहीं किया है जबकि वादी 30 वर्ष से लगातार उक्त आराजियात पर काबिज होकर के काश्त कर रहा है। अतः वादग्रस्त आराजियात सेटलमेंट से पूर्व भी बिलानाम काबिल [illegible] राजी थी और वर्तमान में भी बिलानाम आराजी दर्ज है। इस कारण से कब्जा मुखालफाना के अनुसार [illegible] आराजियात को नियमन करा अपने पक्ष में खातेदारी भूमि दर्ज कराने का अधिकारी है। इसलिए [illegible] वादी विरूद्ध प्रतिवादी खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर के वादी के कब्जे के अनुसार नियमन कर वादी के पक्ष में खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे। वादग्रस्त आराजियात पर वादी 1980 से लगातार आज दिन तक काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा बिलानाम आराजियात है तथा वादग्रस्त आराजियात को वादी के द्वारा काफी अंग मेहनत करके एवं लागत लगाकर उपजाउ बनाया तथा इस आराजियात के अलावा वादी के परिवार को पालने के लिए कोई और आराजी नही है एवं वादी जाति से चमार होकर के अनुसूचित जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 10:55:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

का सदस्य है। इस कारण से नियमन एवं खातेदारी अधिकार का पात्र है लेकिन राजनैतिक दुर्भावना के कारण प्रतिवादी वादी का कब्जा हटाने पर आमदा है इसलिए पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाकर हाल आराजी सं. 397 रकबा 22.14 है. आराजियात से वादी का कब्जा नहीं हटावें, खड्डे नहीं खोदें वादी के द्वारा लगाये गये हरे वृक्ष नहीं काटे, ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करें न ही अन्य किसी नौकर एजेन्ट या परिवारजन से करावें, क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी को सुखाधिकार प्राप्त है सुखाधिकार प्राप्त होने के कारण वादी वादग्रस्त आराजीयात को अपने पक्ष में नियमन करा खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादग्रस्त आराजियात का नियमन करा वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री जारी नहीं फरमाई गई तो वादी को अपार नुकसान होगा तथा वादी अपनी संवैधानिक अधिकारों से वंचित होगा। इसलिए वादग्रस्त आराजियात का नियमन वादी के पक्ष में कराया जाना आवश्यक है। अतः वादी की प्रार्थना है कि वादग्रस्त आराजी 397 रकबा 22.14 है. में से 1.08 है. आराजी को नियमन करने एवं उसी अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी पैरौकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया। प्रतिवादी ने जवाब में अंकित किया कि वाद पैरा सं. 1 अस्वीकार है, वादग्रस्त आराजियात पर वर्तमान में वादी का कब्जा नहीं है, ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण कर रखा है। वादग्रस्त आराजी आराजी पर वादी का 1980 से लगातार कब्जा नहीं रहा है। अतः पैरा 2 अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण कर रखा है वादी का मौके पर कब्जा नहीं है। वादग्रस्त आराजी राजकीय होने से निषेधाज्ञा जारी करने पर सरकार को राजस्व हानि होने की संभावना है, अतः पैरा तीन अस्वीकार है। वादी का वाद आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है :

1. आया वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित मौजा नान्दोली पटवार हल्का ताणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित आ.सं. 397 रकबा 22.14 है. किस्म बिलानाम में से 0.40 है. आराजी को नियमन करने एवं उसी अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. आया वादपत्र की कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजी में वादी वादगत आराजी नं. 397 रकबा 22.14 है. में से अपने 0.40 है. कब्जे काश्त की आराजी के लिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्षवादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3. दादरसी

वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी में शपथपत्र नारायण पी.डब्ल्यू.1 पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। वकील वादी को साक्ष्य के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर साक्ष्य पेश नहीं करने से, साक्ष्य व साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 17.12.2024 को बंद की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक के तर्क वितर्क पर मनन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते है :

तनकी नं. 1 – उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी उक्त तनकी को साबित कराने के लिये पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य पेश नहीं किये है। अतः उक्त तनकी संख्या एक बहक प्रतिवादी खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 10:55:24 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 2 – उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित है कि वादगत आराजी पर नरेगा के तहत वृक्षारोपण किया हुआ है, वादी उक्त तनकी को साबित कराने में असफल रहा है। इस कारण उक्त तनकी संख्या दो प्रतिवादी के पक्ष में खिलाफ वादी साबित होना माना जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

4— दादरसी —

वादीगण अपने जिम्मे की तनकी सं. 1, 2 को साबित कराने में असफल रहा है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होने से वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, संलग्न दस्तावेजों एवं वादी की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा—88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गोलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 10:55:24 IST
Reason: SelfAttested